

381

उत्तर प्रदेश पुलिस
संख्या:23/कैशलेश(सैफई-पीजीआई)2014

मुख्यालय, इलाहाबाद-1
दिनांक:सितम्बर 15, 2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा नियमावली के अनुसार कैशलेश सुविधा के अन्तर्गत उपचार कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं चिकित्सा नियमावली के अनुसार उनके आश्रितों को कैशलेश सुविधा के अन्तर्गत उपचार कराये जाने हेतु संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) किया गया है।

2. उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में कराये गये अनुबन्ध के संबंध में विभिन्न तिथियों में निर्गत आदेश/निर्देश के साथ प्रेषित प्रारूप, जो कर्मियों के उपचार कराये जाने हेतु निर्धारित किया गया है, सभी का अतिक्रमण करते हुये संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में उपचार हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3. अतः उक्त प्रारूप की प्रति अपने अधीनस्थ नियुक्त कर्मियों को उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे कर्मियों उक्त सुविधा का लाभ उठा सके, इसके पूर्व के उक्त संबंध में निर्गत सभी प्रारूप को निरस्त माना जाये।

संलग्नक: यथोपरि।


(डा० सूर्य कुमार) 13/9/14
अपर पुलिस महानिदेशक, मु०,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
 2. निदेशक, उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय, पुलिस लाइन, लखनऊ।
 2. डा.परवीन आजाद, विशेष कार्याधिकारी, कल्याण, पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय, पुलिस लाइन, लखनऊ।
 3. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पेंशन कल्याण संस्थान, कमरा नम्बर-419, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 को सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित का संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ / उ.प्र.ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में केशलेश उपाचार का प्रारूप।

प्राधिकार पत्र क्रमांक.....दिनांक.....

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>(1) पुलिस कर्मी/पेंशनर का नाम</p> <p>(2) रोगी का नाम(स्वयं/आश्रित).....</p> <p>(3) पुलिस कर्मी/पेंशनर से संबंध.....</p> <p>(4) पुलिस कर्मी/पेंशनर की जन्मतिथि.....</p> <p>(5) बीमारी का विवरण.....</p> <p>(6) पद/सेवानिवृत्ति का पद.....</p> <p>(7) वर्तमान/सेवानिवृत्ति के जनपद/इकाई का नाम.....</p> <p>(8) वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे कोषागार का नाम/जनपद.....</p> <p>(9) पीएनओ/कोषागार इन्डेक्स नम्बर.....
(कोषागार द्वारा निर्गत पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)</p> <p>(10) प्रतिमाह वेतन/पेंशन की धनराशि का योग.....(क)बैंक का नाम</p> <p>(11) (ख)खाता संख्या.....(ग)आई.एफ.सी.कोड.....</p> <p>(12) जीवन रक्षक निधि का नियमित रूप से सेवारत कर्मी अभिदाता है अथवा नहीं.....तथा सेवानिवृत्त कर्मी सेवानिवृत्ति की तिथि तक था अथवा नहीं</p> <p>(13) घर का स्थायी पता.....</p> <p>(14) अस्थायी पता.....</p> <p>(15) मोबाइल नम्बर.....</p> <p>(16) पेंशनर/रोगी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....</p> <p>(17) प्रमाणित किया जाता है किइस जनपद के कोषागार से वेतन/पेंशन प्राप्त करते हैं।</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>प्रमाणित 2 फोटो
पुलिस कर्मी/पेंशनर
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>प्रमाणित 2 फोटो
मरीज का
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> </td> </tr> </table> | <p>प्रमाणित 2 फोटो
पुलिस कर्मी/पेंशनर
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> | <p>प्रमाणित 2 फोटो
मरीज का
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> |
| <p>प्रमाणित 2 फोटो
पुलिस कर्मी/पेंशनर
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> | <p>प्रमाणित 2 फोटो
मरीज का
(एक चस्पा-एक संलग्न)</p> | | |

अधिकृत राजपत्रित अधिकारी,
कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम
सहित समुहर हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर-

घोषणा पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि एस.जी.पी.जी.आई.लखनऊ/रिम्स सैफई, इटावा में केशलेश सुविधा के अन्तर्गत कराये गये उपचार में व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से स्वीकृत धनराशि को "जीवन रक्षक निधि, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद" के खाता संख्या:11075922245 में जमा कर दिया जाये।

पुलिस कर्मी/पेंशनर का हस्ताक्षर
पता व मोबाइल नम्बर